

डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
निम्बाहेड़ा, जिला- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) पिन-312601

विवरणिका

2022-23



<https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcnimbahera>

मेल- college.nimbahera@gmail.com

फ़ोन : 01477-294559

प्राचार्य संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

नवीन प्रवेश-सत्र 2022-23 में आपका हार्दिक स्वागत।

वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। इस संज्ञा को चरितार्थ करते हुए शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य एवं विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु यह महाविद्यालय अनवरत प्रयासरत है। इस महाविद्यालय प्रांगण गरिमापूर्ण व्यवहार एवं उच्च जीवन मूल्यों को प्राथमिकता सदैव सर्वोपरि रही है। इस दिशा में अपने स्थापना काल 1977 से निरंतर गतिमान है। हमारा महाविद्यालय अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों के सामूहिक प्रयासों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध है।

महाविद्यालय परिसर अत्याधुनिक साधनों से युक्त है। विद्यार्थियों के बौद्धिक ज्ञान की वृद्धि हेतु महाविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय एवं वाचनालय उपलब्ध है। विषयवस्तु के प्रभावी अधिगम हेतु स्मार्ट क्लास की सुविधा भी महाविद्यालय में उपलब्ध है। विज्ञान एवं भूगोल विषय के विद्यार्थियों हेतु यहाँ सभी उपकरणों एवं संसाधनों युक्त समृद्ध प्रयोगशालाएँ हैं। महाविद्यालय में ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी अधिक हैं, उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शैक्षिक एवं सहशैक्षिक वातावरण निर्मित किया गया है।

महाविद्यालय सभी प्रतिभावान एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में उनके बेहतर भविष्य को आकार देने का प्रयास करता है। आप अपना महत्वपूर्ण समय इस महाविद्यालय में व्यतीत करने जा रहे हैं इस हेतु मैं आपको अनेकानेक शुभकामनाएँ देता हूँ और यह आशा भी करता हूँ कि आप अनुशासित एवं मर्यादापूर्ण व्यवहार का पालन करते हुए इस महाविद्यालय की गरिमा को बनाए रखेंगे।

महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को आगे बढ़ने हेतु सदैव आग्रही रहा है। इस संदर्भ में संकाय सदस्यों को सदैव प्रोत्साहित करने के साथ-साथ एक कर्मठ नेतृत्व करते हुए स्वयं उसमें भागीदारी निभाने का मेरा प्रयास रहा है। मैं समस्त अभिभावकों को महाविद्यालय परिवार की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ प्रवेश लेने वाली विद्यार्थियों का शैक्षिक एवं नैतिक जीवन उपलब्धियों भरा होगा। मैं अभिभावकों से भी यह आशा करता हूँ कि वे विद्यार्थियों को श्रेष्ठ भविष्य निर्माण हेतु वे तमाम अवसर प्रदान करें, जिसकी वे सही मायने में हकदार हैं।

पुनः आप सभी का स्वागत एवं अनंत शुभकामनाएँ...!!!

अनुक्रम

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	हमारा महाविद्यालय	4
2.	संकाय	5
3.	संकाय सदस्य	6
4.	मंत्रालयिक सदस्य	7
5.	प्रवेश प्रक्रिया	8
6.	समय विभाग चक्र	17

हमारा महाविद्यालय

सितम्बर, 1977 में स्थापित यह महाविद्यालय जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से 30 कि.मी. दूर अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी निरन्तर सफलता के नवीन आयामों को छूते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ परिषद और मंच छात्राओं में छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर कर उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु शिक्षित, जागरूक, कर्मठ और समर्पित युवा-पीढ़ी अपनी सकारात्मक सोच के साथ महाविद्यालय के मंच से निरन्तर अग्रसर हो रही है।

हमारा महाविद्यालय परिवार में 2200 विद्यार्थी, 20 आचार्य एवं अन्य प्रशासनिक-मंत्रालयिक कर्मचारियों से मिलकर आपसी सामंजस्य और वैचारिक संतुलन के साथ सुखी और समृद्ध परिवार की अवधारणा को चरितार्थ करता है। यहाँ स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवम् विज्ञान संकाय है। हिन्दी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं ABST में स्नातकोत्तर कक्षाएँ चल रही है। हमारी संस्था के योग्यतम सदस्यों के उत्कृष्ट अध्यापन, कुशल मार्गदर्शन एवं छात्राओं के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महाविद्यालय के विगत सत्रों में परिक्षा परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक ही रहा है।

महाविद्यालय भवन- महाविद्यालय के पास पर्याप्त भवन है। महाविद्यालय में कुल 38 कक्ष एवं एक वृहद सभागार है। व्यवस्थित पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षा कक्ष, सेमिनार रूम, सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर रूम, गर्ल्स कोमन रूम, क्रीडा कक्ष सहित स्नातकोत्तर विषयों के विभाग भी स्थापित हैं। महाविद्यालय में ICT सुविधाओं के साथ शिक्षण कार्य करवाने हेतु अनेक सुविधाएँ यथा- स्मार्ट रूम, स्मार्ट बोर्ड आदि उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय- महाविद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य छात्राओं का बौद्धिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास करना है और छात्राओं में पढ़ने की आदत को विकसित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुस्तकालय में विभिन्न कार्य किये जाते हैं। जिससे पुस्तकालय का उपयोग अधिक से अधिक हो। स्नातक स्तर की छात्राओं को 02 व स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को 03 पुस्तकें निश्चित अवधि के लिए उनके पुस्तकालय कार्ड पर निर्गमित की जाती है। पुस्तकों का चयन छात्राओं की संख्या विषय, आवश्यकता व माँग को ध्यान में रखकर किया जाता है। पुस्तकालय में महाविद्यालय में संचालित सभी विषयों की वर्तमान में 25000 से अधिक पुस्तकें हैं तथा 12 पत्रिकाएँ 06 जर्नल्स, 04 दैनिक पत्र मंगवाए जाते हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विभाग क्रमशः स्टैक रूम , वाचनालय कक्ष, सन्दर्भकक्ष व प्रकोष्ठ संचालित हैं।

पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का विवरण कम्प्यूटरीकृत है और प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है

छात्रसंघ- छात्रसंघ का विधिवत गठन राज्य सरकार के द्वारा घोषित तिथि पर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतान्त्रिक नेतृत्व का गुण विकसित करते हुए व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करना है। साथ ही छात्रों की सहशैक्षणिक यथा साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर प्रतिभावान विद्यार्थियों को मंच प्रदान करने के अतिरिक्त महाविद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रशासन को विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करना है।

साहित्य-मंच- विद्यार्थियों की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु साहित्य-मंच के माध्यम से विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है एवं श्रेष्ठ प्रतिभाओं को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाता है। विविध साहित्यिक गतिविधियों में स्वरचित काव्यपाठ, निबंध लेखन, वाद-विवाद, भाषण, पत्र-वाचन आदि में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका रहती है।

सांस्कृतिक प्रकोष्ठ- विद्यार्थियों की अभिरुचि अनुसार विविध सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन निरंतर रूप से होता है। एकल नृत्य, समूह नृत्य, नाटिका, विचित्र वेशभूषा, एकल गान, समूह गान आदि में छात्राओं की भूमिका अधिक रहती है। विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है एवं श्रेष्ठ प्रतिभाओं को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाता है।

महिला प्रकोष्ठ- महाविद्यालय में 70 प्रतिशत छात्राएं हैं। नियमित छात्राएँ इस प्रकोष्ठ की सदस्य हैं। महिलाओं के व्यक्तित्व उन्नयन की दृष्टि से अनेक गतिविधियों का आयोजन इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन वार्षिक उत्सव के अवसर पर किया जाता है, जिसमें छात्राओं का उत्साह दर्शनीय है।

राष्ट्रीय सेवा योजना- युवाओं की सक्रिय भागीदारी एवं रचनात्मकता विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में वर्तमान में 02 इकाइयां गठित हैं। यह शैक्षिक परिसर को समाज से जोड़ने वाली कड़ी है तथा सार्वजनिक हित की योजना है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, गाँव गोद लेने की अनिवार्यता, स्वच्छता अभियान, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास आदि कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है तथा इनके क्रियान्वयन हेतु प्रयास किये जाते हैं। इस गतिविधि से जुड़ने हेतु कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है।

खेलकूद- महाविद्यालय में पर्याप्त खेल गतिविधियों का आयोजन होता है। कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, बास्केट बाल, फुटबाल सहित समस्त फील्ड एवं ट्रेक गतिविधियों में विद्यार्थी भाग लेते हैं। विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है एवं श्रेष्ठ प्रतिभाओं को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाता है।

छात्रवृत्तियाँ- विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से विविध छात्रवृत्तियाँ जैसे- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मेट्रिक, देवनारायण एवं काली बाई भील स्कूटी योजना, समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रदत्त विविध छात्रवृत्तियाँ आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं सहयोग मिलता है।

संकाय

स्तर	वर्ग	विषय	कुल सीट
स्नातक	कला	हिन्दी साहित्य	300 प्रथम वर्ष
		उर्दू	
		राजनीति शास्त्र	
		समाजशास्त्र	
		अर्थशास्त्र	
		इतिहास	
		भूगोल	
	वाणिज्य	व्यावसायिक प्रशासन	100 प्रथम वर्ष
		लेखांकन एवं व्यावसायिक सांख्यिकी	
		आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन	
	विज्ञान	प्राणिशास्त्र	88+88 प्रथम वर्ष
		वनस्पतिशास्त्र	
		रसायन शास्त्र	
		भौतिक शास्त्र	
गणित			
स्नातकोत्तर	कला	हिन्दी साहित्य	60 प्रथम वर्ष
		राजनीति शास्त्र	60 प्रथम वर्ष
		समाजशास्त्र	60 प्रथम वर्ष
		इतिहास	60 प्रथम वर्ष
	वाणिज्य	लेखांकन एवं व्यावसायिक सांख्यिकी	60 प्रथम वर्ष

संकाय सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद	विषय
1	श्री इसहाक मोहम्मद	प्राचार्य	गणित
2	डॉ. हस्तीमल कोठारी	सह आचार्य	समाजशास्त्र
3	श्री भगवान साहु	सह आचार्य	हिन्दी
4	डॉ. देवाराम	सह आचार्य	अर्थशास्त्र
5	डॉ. अशोक मूलवानी	सहायक आचार्य	राजनीति शास्त्र
6	डॉ. राजेंद्र कुमार सिंघवी	सहायक आचार्य	हिन्दी
7	डॉ. सीमा विजय	सहायक आचार्य	वनस्पतिशास्त्र
8	डॉ. शिल्पा नागोरी	सहायक आचार्य	समाजशास्त्र
9	डॉ. नीलम सेठी	सहायक आचार्य	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन
10	श्री उदयराम अहीर	सहायक आचार्य	भौतिकशास्त्र
11	डॉ. श्रीराम शर्मा	सहायक आचार्य	इतिहास
12	डॉ. हंसराज पोसवाल	सहायक आचार्य	रसायनशास्त्र
13	डॉ. नवेद मोहम्मद	सहायक आचार्य	अंग्रेजी
14	श्री अनिल शर्मा	सहायक आचार्य	प्राणिशास्त्र
15	डॉ. सचिन कुमार सत्तावन	सहायक आचार्य	भूगोल

मंत्रालयिक सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री मोहम्मद आसिफ	प्रयोगशाला सहायक
2	श्री राधेश्याम जायसवाल	सहायक कर्मचारी
3	श्री कन्हैयालाल मीणा	सहायक कर्मचारी

प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित नियमावली एवं समय-चक्र के आधार पर ऑनलाइन मेरिट द्वारा होता है। जून माह के प्रथम सप्ताह में प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में शिक्षण कार्य आरम्भ हो जाता है। प्रवेश संबंधी नियम, आरक्षण एवं बोनस अंक संबंधी विवरण इस लिंक पर उपलब्ध हैं।

लिंक	स्नातक प्रथम वर्ष https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcnimbahera/admission-ug
	स्नातकोत्तर पूर्वार्ध https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcnimbahera/admission-pg

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

तालिका 2.1

स्नातक पास कोर्स व आनर्स कोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	ऑनर्स
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय -45 वाणिज्यसंकाय-45 विज्ञान संकाय-48	कला संकाय - 48 वाणिज्य संकाय-48 विज्ञान संकाय -50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु -

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान /राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

- (4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :-

- (i). ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।
- (ii) उक्त बिन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।
- 2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला/वाणिज्य	कला/वाणिज्य/विज्ञान/कृषि संकाय
विज्ञान - गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय- गणित समूह*
विज्ञान - जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव-विज्ञान समूह*

* अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- 2.1.2 कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।
- 2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।
- 2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जावेगी।

स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1
प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क.सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एससी.	अर्हकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण— आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
(ii)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.कॉम.के लिये अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एससी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

* अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+ 2+ (3 वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की स्नातक परीक्षा से है)।

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 3.1.5 किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 3.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (गुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (गुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11() आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दि. 06.05.2022)
- 6.1.3 स्नातक, स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।
- 6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल

- प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है।
(राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11() ()
आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 - 409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
- 6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
- 6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।
- 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)**
- 6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

- 6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.2.4 बिन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
- 6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/पी.एम.ओ.जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा
- 6.3 **शिक्षक अभ्यर्थी**
- प्रत्येक विषय की एम.एस.सी. पूर्वाह्न कक्षा में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।
- 6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आश्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

S.No.	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्ण पर प्रवेश
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	<p>प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF)/राजस्थान पुलिस के कर्मियों के वार्डस के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/ disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. 3. Wards of personnel awarded Gallantry award. 4. Wards of awarded Ex servicemen. 	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

*CAPF में CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG सेवाओं के कर्मी सम्मिलित है।

- 6.5 **कश्मीरीघाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार (Non-Migrants)**
- 6.5.1 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
- 6.5.2 कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।
- 6.5.3 इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
- 6.5.4 कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.5.5 प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- 6.5.6 प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6.5.7 तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
- 6.5.8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1-1/2012/एसए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिए स्थान (अधिसंख्यक) उपलब्ध होंगे।
- 6.5.9 एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त दो सीटें सृजित की जा सकेगी।
- 6.6 **ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश**

यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जावे:-

-
- i विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय है।
- ii इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी ।
(आयुक्तालय आदेश क्रमांक 383 दिनांक 23.6.2015)
- 6.7 अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों (एन.सी.सी. जूनियर डिविजन में विगत पांच सत्रों) में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ स्नातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समय ही दिया जावेगा।
-

समय विभाग चक्र

Dr. B.R.A. GOVERNMENT P.G. COLLEGE, NIMBAHERA (RAJ.)
Time Table For Arts Faculty
Session:2022-2023 Revised W.e.f. 01-10-2022

Period	I	II	III	IV	V	VI	VII
Class	10:00 AM	11:00 AM	12:00 PM	1:00 PM	2:00PM	3:00PM	4:00PM
I year Sec. A R.No. 27	History K.A (1-6)	Hindi Lit BS(1-3) RKS (4-6)	Pol.Sc. SB (1-6)	Socio. SN (1-6)	Eco (1-6) D.Ram	Geography Th. (1-6)	G.Eng. EX(1-3) ENV Std. EX(4-6)
II year Sce. A R.No. 28	Pol.Sc. SB (1-4) AM (5-6)	Socio. SN (1-3) HMK(4-6)	Eco (1-6) D.Ram	Hindi Lit RKS (1-3) BS (4-6)	History K.A (1-4) Mr. X (5-6)	G.Hindi Mr. X (1-3) EL Comp. Mr. X (4-6)	Geography Th. (1-6)
III year Sec. A R.No. 29	Socio. SN (1-3) HMK(4-6)	Eco (1-6) D.Ram	History K.A (1-4) Mr. X (5-6)	Pol.Sc. SB (1-4) AM (5-6)	Hindi Lit RKS (1-3) BS (4-6)	Geography Th. (1-6)	-
M.A. (P)	Socio. HMK(1-2)	Hindi Lit RKS(1-3) BS (4-6) Room. No. - 20	Pol.Sc. AM (1-6)	History Mr. X (1-6) Room No. 19	Socio. HMK (1-3) SN(4-6) Room. No. 32		-
M.A. (F)		Socio. HMK (1-3) SN (4-6) Room No. 31	History Mr. X (1-6) Room No. 19	Hindi Lit BS(1-3) RKS (4-6) Room No. 20	Hindi Lit RKS(4-6) Pol.Sc. AM (1-6) Socio. SN (1-3) Room No. 32		

Dr. B.R.A. GOVT. PG COLLEGE NIMBAHERA (RAJ.)
Session 2022-23

Time Table For Commerce Faculty
Class & Room Wise w.e.f 01-07-2022

Period	I	II	III	IV
Class	10:00 AM	11:00 AM	12:00 PM	1:00 PM
I year R.N. (23)	ABST MV (1-6)	EAFM NS (1-6)	Bus. Ad. SS (1-6)	Env. Std. Mr. X (1-2) G.English Mr. X(3-4)
II year R.N. (24)	EAFM NS (1-6)	ABST MV(1-6)	G. Hindi EX (1-2) Comp. Mr. X (3-4)	Bus. Ad. SS (1-6)
III year R.N. (25)	-	Bus. Ad. SS (1-6)	EAFM NS (1-6)	ABST MV(1-6)

Dr. Bhimrao Ambedkar Govt. PG. College, Nimbahera (Raj.)				
	Faculty of Science		Time Table: 2020-21	
Time/Class	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-01:00 & 01:00-02:00	02:00-03:00
First Year	Physics (1-2),P, RN-13	Physics (3-4),P, RN-13	Mathematics (3-4), T, RN-16	Gen. English (1-2), U, RN-14
	Chemistry (3-4), Q, RN-14	Chemistry (5-6), Q, RN-14	Physics Practical (5-6),P, RN-13	EVS (5-6), V, RN-15
	Zoology (5-6), R, RN-12	Zoology (1-2), R, RN-12	Chemistry Practical (1-2), Q, RN-8	
	Botany (1-2), S, RN-15	Botany (3-4), S, RN-15	Zoology Practical (3-4), R, RN-12	
	Mathematics (5-6), T, RN-16	Mathematics (1-2), T, RN-16	Botany Practical (5-6), S, RN-12	
Second Year	Physics (3-4),P, RN-13	Physics (5-6),P, RN-13	Mathematics (5-6), IM, RN-16	Gen. Hindi (1-2), W, RN-15
	Chemistry (5-6), Q, RN-14	Chemistry (1-2), Q, RN-14	Physics Practical (1-2),P, RN-13	Ele. Computer (5-6), X, RN-16
	Zoology (1-2), R, RN-12	Zoology (3-4), R, RN-12	Chemistry Practical (3-4), Q, RN-8	
	Botany (3-4), S, RN-15	Botany (5-6), S, RN-15	Zoology Practical (5-6), R, RN-12	
	Mathematics (1-2), IM, RN-16	Mathematics (3-4), IM, RN-16	Botany Practical (1-2), S, RN-12	
Third Year	Physics (5-6),P, RN-13	Physics (1-2),P, RN-13	Mathematics (1-2), IM, RN-16	
	Chemistry (1-2), Q, RN-14	Chemistry (3-4), Q, RN-14	Physics Practical (3-4),P, RN-13	
	Zoology (3-4), R, RN-12	Zoology (5-6), R, RN-12	Chemistry Practical (5-6), Q, RN-8	
	Botany (5-6), S, RN-15	Botany (1-2), S, RN-15	Zoology Practical (1-2), R, RN-12	
	Mathematics (3-4), IM, RN-16	Mathematics (5-6), IM, RN-16	Botany Practical (3-4), S, RN-12	

Dr. B.R.A. GOVERNMENT P.G. COLLEGE, NIMBAHERA (RAJ.)

Time Table For PG Classes

Session:2022-2023

Revised W.e.f. 01-07-2022

Hindi Lit.

Period	Class	Room No.	II	III	IV	V
			11:00 AM	12:00 PM	1:00 PM	2:00PM
Previous		20	RKS (1-3) BS (4-6)	Mr. X (1-6)	Mr. X (1-3)	-
Final			Mr. X (1-6)	-	BS (1-3) RKS (4-6)	RKS (4-6)

Political Science

Period	Class	Room No.	II	III	IV	V
			11:00 AM	12:00 PM	1:00 PM	2:00PM
Previous		32	AM(1-3) MR.x(4-6)	Mr.X(1-6)	-	-
Final			Mr. X (1-3)	AM(4-6) Mr.X(1-3)	-	(AM(1-3) Mr.X(4-6)

Sociology

Period	Class	Room No.	II	III	IV	V
			11:00 AM	12:00 PM	1:00 PM	2:00PM
Previous		31	SN(1-3) HMK(4-6)	HMK(1-3) Mr.X(4-6)	HMK(4-6) Mr.X(1-3)	-
Final			HMK(1-3) SN(4-6)	Mr.X(1-3)	Mr.X(4-6)	-

History

Period	Class	Room No.	II	III	IV	V
			11:00 AM	12:00 PM	1:00 PM	2:00PM
Previous		19	Dr. SRM (1-6)	-	Dr. SRM (1-6)	-
Final			-	Dr. SRM (1-6)	(Mr.X (4-6)	-

=====